



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224039
CG-DL-E-31122020-224039

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4164]
No. 4164]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4748(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जिला कलेक्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम (NH 510) के किमी. 75.000 से 90.210 सिक्किम राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 510 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 510 के कि.मी. 75 से 90.21 तक	सिक्किम	वेस्ट डिस्ट्रिक्ट	ग्याल्शिग	1	यांगथांग
						2	तिकजेक
						3	लिंगचोंम
						4	लूंगजीक
						5	सारदुंग

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Gyalshing/Legship-Gyalshing/PKGV1/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2020

S.O. 4748(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 75.000 to Km. 90.210 of District Collectorate , West Sikkim. (NH 510) in the State of SIKKIM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of SIKKIM

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 510 in the State of SIKKIM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	District Collector	75KM To 90.21KM	SIKKIM	WEST DISTRICT	Gyalshing	1	Yangthang
						2	TIKJEK
						3	Lingchom
						4	Lungzik

						5 Sardung
--	--	--	--	--	--	-----------

[F. No. NHIDCL/PMU-Gyalshing/Legship-Gyalshing/PKGV1/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director